रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357] नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 1999/ज्येष्ठ 31, 1921
No. 357] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 1999/JYAISTHA 31, 1921

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 1999

का.आ. 472(अ).—केन्द्रीय सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, युनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) को, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1813(अ), तारीख 27-11-1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा, एक विधि विरुद्ध संगम घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1891(अ), तारीख 22-12-1998 द्वारा एक विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन किया था जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के. रामामूर्ति थे;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 दिसम्बर, 1998 को उक्त अधिसूचना को उक्त अधिकरण को, इस न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए कि क्या उक्त संगम को विधि विरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण थे, या नहीं, निर्दिष्ट किया था;

और उक्त अधिकरण ने, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि करते हुए, 19 मई, 1999 को एक आदेश दिया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण के उक्त आदेश का प्रकाशन करती है, अर्थात् :—

यूनाईटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम(उल्फा) के मामले में
माननीय जस्टिस के0 राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित
विधिविरूद्ध क्रियाकलाप(निवारण)अधिकरण, नई दिल्ली ।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने विधिविरूद्ध क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के तहत प्रदत्त शक्ति के आधार पर दिनांक 27 नवम्बर, 1998 को एक अधिसूचना जारी करके यूनाईटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम(उल्फा) और उसके विभिन्न गुटों को एक विधिविरूद्ध संगम घोषित किया । अधिसूचना निम्नलिखित है:-

"का0आ0 1013(अ)- यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम और उसके अनेक पक्ष(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् यू0एल0एफ0ए0 कहा गया है) का पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र पृथकतावादी संगठनों से मिलकर, असम को भारत संघ से सशस्त्र संघर्ष द्वारा मुक्त कराना और साथ ही भारत वर्मा क्षेत्र की राष्ट्रीय मुक्ति के लिए, उस क्षेत्र के समरूचि संगठनों से मिलकर संघर्ष जारी रखना और उससे असम को भारत से अलग कराना प्रव्यंजित उद्देश्य है,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यू0एल0एफ0ए0:(।) असम को मुक्त करने के अपने उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, भारत, की प्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता को विच्छिन्न करने के लिए आशातीत अनेक अवैध और हिंसात्मक क्रियाकलापों में लिप्त रहा है,

(।।) असम को मुक्त कराने के लिए विधि विरूद्ध संगमों, जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड, के साथ संबद्ध रहा है,

(।।।) इसकी विधि विरूद्ध संगम के घोषणा किए जाने के दौरान भी यह अपने ध्येय और उद्देश्य के अनुसरण में विधि विरूद्ध क्रियाकलापों में लगा हुआ था,

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि विधि विरूद्ध और हिंसक क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित है:-

(।) 27.11.96 से 17.8.98 की अवधि के दौरान 436 हिंसक और आतंकवादी घटनाएं हुई जो यू0एल0एफ0ए0 द्वारा की गई मानी जा सकती है,

(।।) फिरौती के लिए व्यपहरण के अपने कार्यों के अतिरिक्त विशेषतया चाय के सेक्टर मे उगाही के क्रियाकलापों में लिप्त रहा है.

(iii) अपने आतंकवादी और विद्रोही क्रियाकलापों को जारी रखते हुए नए काडरों की भर्ती और जिला, आंचलिक और शाखा समिति को पुनर्गठित करने के लिए धीरे धीरे किन्तु व्यवस्थित अभियान चलाने के लिए आधारभूत स्तर पर अपने संगठनात्मक नेटवर्क की संरचना करने के कार्यक्रम को प्रारंभ करना,

(ii) संगठन का प्रचार खण्ड सक्रिय रहा है और उसने इकाई के लक्ष्यों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिकथित शोषण को प्रदर्शित करते हुए और तथाकथित मुक्ति संघर्ष में सम्मिलित होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए, और उसके द्वारा उनकी निष्ठाओं को नष्ट करते हुए गुप्त पुस्तिकाएं, मैगजीन प्रकाशित की है,

(i) अपने काडर के पुलिस भेदियो/सरकार के सहयोगियों की सूची तैयार करने के लिए हिदायत देना जिससे उनके विरूद्ध प्रतिकारात्मक कार्रवाई करने के लिए लक्ष्य की पहचान की जा सके,

(i) यू0एल0एफ0ए0 के सैन्य खण्डों को आम जनता के साथ मिल जाने और समनुदेशित कार्य को निष्पादित करने का अनुदेश देना,

(i) पड़ोसी देशों में शरण स्थल स्थापित कर लिए हैं और इन देशों में अनेक प्रशिक्षण कैम्प स्थापित किए हैं ।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि पूर्वोकित कारणों से यू0एल0एफ0ए0 के क्रियाकलाप भारत की प्रभुता और अखण्डता के लिए हानिकर हैं और यह एक विधिविरूद्ध संगम है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यू0एल0एफ0ए0 और उसके विभिन्न खण्डों को विधि विरूद्ध संगम घोषित करती है ।

और केन्द्रीय सरकार की यह और राय है कि यदि यू0एल0एफ0ए0 के विधिविरूद्ध क्रियाकलापों तत्काल रोका और नियंत्रित नहीं किया जाता है तो वह निम्नलिखित अवसरों का उपयोग करेगा:

(i) अपने काडरों को अपने पृथकतावादी/विनाशक और आतंकवादी/हिंसक क्रियाकलापों के लिए तैयार करना,

(ii) भारत की प्रभुता और राष्ट्रीय अखण्डता के प्रति विद्वेषी बलों के सहयोग से, खुले रूप से राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों का प्रसार करना,

(iii) नागरिकों को बढ़ती हुई हत्या और पुलिस तथा सुरक्षा बल कार्मिकों को लक्ष्य बनाने में लगना,

(ii) सीमा पार से अधिक अवैध शस्त्र और गोला बारूद प्राप्त करना और लाना,

(i) अपने विधि विरूद्ध क्रियाकलापों के लिए जनता से प्रचुर मात्रा में निधि और अवैध कर छीनना और एकत्रित करना,

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि ऊपर उल्लिखित यू0एल0एफ0ए0 के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए, और हाल ही में विगत काल में पुलिस, सशस्त्र बलों और नागरिकों के विरूद्ध यू0एल0एफ0ए0 द्वारा बढ़ाई जा रही हिंसा का सामना करने के लिए तात्कालिक प्रभाव से यू0एल0एफ0ए0 को विधि विरूद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है और तद्नुसार केन्द्रीय सरकार, धारा 3 की उपधारा(3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जा सकेगा, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

यह अधिकरण विधिविरूद्ध क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 के तहत गठित किया गया है जिससे अधिसूचना की पुष्टि के प्रश्न पर विचार किया जा सके ।

संबद्ध पक्षों को नोटिस दिए गए तथा जांच की गई । असम राज्य ने निम्नलिखित गवाहों की जांच की:-

1. पी0डब्ल्यू 1 श्री बी0जे0 मोहंतो
2. पी0डब्ल्यू0 2 श्री बी0के0 बारदोलाई
3. पी0डब्ल्यू0 3 श्री पी0डी0 गोस्वामी
4. पी0डब्ल्यू0 4 श्री प्रदीप चन्द्र सलोई
5. पी0डब्ल्यू0 5 श्री सुनील दत्ता
6. पी0डब्ल्यू0 6 श्री विनय कुमार मिश्रा
7. पी0डब्ल्यू0 7 श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
8. पी0डब्ल्यू0 8 श्री देराजुद्दीन अहमद

दस्तावेज प्रदर्श पी 1 से पी 31 तक दर्शाए गए हैं ।

केन्द्र सरकार ने परिस्थितियों का वर्णन करते हुए, शपथपत्र दाखिल करने के अतिरिक्त श्री एल0के0 प्रसाद की जांच की ।

इससे पहले कि मैं प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करूं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम(उल्फा) को दिनांक 27.11.1990 से विधिविरूद्ध संगम घोषित किया गया तथा भारत सरकार द्वारा इस आशय की अधिसूचनाएं जारी की गई थी जिनकी पुष्टि अधिकरणों द्वारा की गई थी, कुछ प्रारंभिक टिप्पणियां देना आवश्यक हो गया है । हमारे जैसे एक लोकतांत्रिक राज्यतंत्र में, संविधान में प्रतिष्ठापित आधारभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, इस देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी पूरी शक्ति से देश की एकता की ओर योगदान दे । केवल तभी भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा । कुछ असंतुष्ट तत्व अपने निजी स्वार्थों के लिए पूरे राष्ट्र के कल्याण की परवाह किए बगैर तथा स्थानीय लोगों की परवाह किए बगैर देश में हलचल पैदा कर रहे है, इन लोगों से संविधान के सिद्धान्तों तथा उनके अधीन निर्मित कानूनों के अनुसार कठोरता से निपटना चाहिए । वास्तव में, इस वर्ष में नागरिकों के आधारभूत कर्तव्यों का महत्व उजागर करने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक हो गया और संविधान में अनुछेद 51 क शामिल किया गया जो इस प्रकार है:-

51 क. भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ----

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें,

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएरखे औरउनका पालन करें,

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें,

(ड.) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो; ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे,

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे,

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे,

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे,

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए, प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले ।

संपूर्ण असम और पूर्वोत्तर के अन्य कई भाग विधिविरूद्ध क्रिया कलाप में संलिप्त व्यक्तियों की वजह से भयग्रस्त है । अधिनियम के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने के अतिरिक्त, मेरा यह विचार है कि भारत सरकार इन व्यक्तियों की ओर सुधारात्मक रवैया अपना कर सकारात्मक उपाय करे जिससे कि इन लोगों में देश केप्रति अपने उत्तरदायित्व का विचार आए तथा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे नेताओं ने जो उद्घोषणाएं की थी, उन्होंने जो कुछ किया तथा कैसे देश के लिए उन्होंने अपने अमूल्य जीवन का बलिदान दिया था, यह उनलोगों के जहन में बिठाया जाए । केवल आजादी से ही हमारे सामने आने वाली समस्याओं का हल नहीं निकलेगा । देश के सभी नागरिकों को समान अवसर देने होगें तथा उन सबको भी देश के हित के लिए प्रयास करने होंगे । अमरीका के स्व0 राष्ट्रपति जोन एफ कैनेडी ने 20 जनवरी, 1960 को अमरीका के राष्ट्रपतिके पद की शपथ लेते समय जो शब्द कहे थे, उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए । उन्होंने कहा था:-

"यह मत पूछो कि देश तुम्हारे लिए क्या करेगा, यह बताओ कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो ।"

जो विधिविरूद्ध गतिविधियों में संलिप्त है वे यह महसूस नहीं करते कि स्थानीय लोगों की सहायता करने का प्रयास करने की बजाय वे स्थानीय लोगों की उन्नति के रास्ते में बड़ी रूकावटें खड़ी कर रहे हैं । जब सारे भारत में बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं, जब देश के इस भाग के लोग सुसंस्कृत, एवं परिष्कृत हैं तथा जिन्हें बौद्धिक कौशल विरासत में मिला है, ऐसे संगठनों के सदस्य अनावश्यक रूप से लोगों की उन्नति में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं । यदि लोगों के गुणों का सही उपयोग किया जाए तो इससे उन लोगों को स्वयं ही सहायता नहीं मिलेगी बल्कि इससे देश की भी उन्नति होगी । मेरे विचार में जो लोग विधिविरूद्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं उन्हें राष्ट्रीय गतिविधियों की मुख्य धारा में लाने के लिए जो शक्तियां है वे विश्वासोत्पादक प्रकृति की होनी चाहिए । महात्मा गांधी, पं0 जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, गोविन्द बल्लभ पंत ने हमें ऐसी परिस्थितियों से निपटने का मार्ग दिखाया है । यदि उचित ढंग से तथा सुप्रशिक्षित कार्मिकों को इस काम पर लगाया जाए तो विधि विरूद्ध गतिविधियों में संलिप्त लोगों को अच्छे व्यक्ति बनाया जा सकता है ।

असम सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का निष्कर्ष यह है कि उल्फा की गविधियां बिना रूके चलती रहेंगी, इससे सामाजिक ताने बाने को बहुत नुकसान होगा परन्तु उन्हें अपनी कार्रवाइयों का कोई लाभ नहीं होगा । उनकी ओर से भारत की अखण्डता तथा प्रभुत्ता को चुनौती जारी है वे जबरन धन वसूलने, हत्या, पुलिस कर्मियों तथा सुरक्षा कार्मिकोपर घात लगा कर हमला करने में संलिप्त हैं । वे अपने उद्देश्यों के लिए धन की मांग करते हैं, यदि उन्हें अपने गैर कानूनी एवं अनधिकृत मांगों में सफलता नहीं मिलती तो वे भोले भाले लोगों का अपहरण कर लेते हैं । प्रसन्नता की बात है कि साक्ष्य, संगठन के विरूद्ध है ।

मुझे आशा है कि विधिविरूद्ध गतिविधियों में संलिप्त लोग यह महसूस करेंगे कि यदि वे वास्तव में इस क्षेत्र के लोगों का हित चाहते हैं तो उन्हें मानवता के प्रति प्यार एवं सेवा की भावना उत्पन्न करनी होगी तथा उन्हें यह अवश्य महसूस करना होगा कि उनकी योग्यता एवं शक्ति नकारात्मक गतिविधियों में व्यर्थ जा रही है तथा यदि उनका सही उपयोग किया जा सके तो वे राष्ट्र की प्रगति में बड़ा योगदान कर सकेंगे । विधिविरूद्ध गतिविधियों में संलिप्त लोग शायद नहीं जानते कि वे ऐसी मिट्टी से सम्बन्ध रखते हैं जिसने लचित बरफुकन जैसे महान नेताओं को जन्म दिया है, जो कि 17वीं सदी में अहोम राज्य के अपने वीरता भरे कारनामों के लिए प्रसिद्ध एक महान जनरल थे । लचित बरफुकन के महान कार्यों को स्मरण करने के लिए नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकान्त ने की थी, इसमें ले0 जनरल (सेवानिवृत्त) एस0के0 सिन्हा, राज्यपाल असम, तथा असम के मुख्यमंत्री माननीय प्रफुल्लकुमार महन्त ने देश के लिए बरफुकन द्वारा किए गए बलिदानों को उल्लेख किया । माननीय मुख्यमंत्री ने कहा:–

"यह वास्तविकता है कि अभी भी राज्य से बाहर के लोगों में असम को कम जाना एवं कम समझाजाता है ।

इसका कारण शायद भौगोलिक रूप से इसका अलग–थलग होना तथा उचित निरूपण की कमी रही कि राज्य के लोगों तथा बाहर के लोगों में सम्पर्क का अभाव रहा । इस प्रकार की दूरी राष्ट्रीय अखण्डता के हितों के विरूद्ध है तथा इसे पाटने की आवश्यकता है ।"

देश के अन्य हिस्सों के लोग असम के बड़प्पन से सुपरिचित हैं तथा देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे असम के लोगों ने न केवल अपने राज्य का बल्कि इस देश के लोगों का नाम भी ऊंचा किया है ।

मेरा विचार है कि यदि लोग "सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम" के सिद्धान्तों को अनुभव करे तथा उनका पालन करें तो हमारा राष्ट्र एक महान राष्ट्र के रूप में पहचाना जाएगा क्योंकि यह भारतीय संस्कृति है जो सम्पूर्ण राष्ट्र को बनाए रखे हुए है ।

भारत सरकार को देश के सभी भागों से असम के विभिन्न स्टेशनों पर जाने वाली अनेक ट्रेनों की सेवाप्रदान करके तथा हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करके लोगों के आवागमन की सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए । मेरे विचार में गुवाहाटी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, सही दिशा में उठाया गया कदम है । वहां पर राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे तीन मैडिकल कालेज हैं और वहां की जनसंख्या को देखते हुए, और अधिक मेडिकल कालेज तथा इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने चाहिए । यदि उस क्षेत्र के लोगों को उच्चतर शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते हैं तो वहां पर किसी के भी भटक जाने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

महाधिकार- पत्र (मैग्ना-कार्टा) के दिनों से ही लोग इस देश के प्रहरी रह चुके हैं क्योंकि यह लोगों का अधिकार था, और यह केवल लोग ही किसी देश के हितों को सुरक्षित रख सकते हैं । प्रायः यह कहा जाता है कि खेत की बाड़ ही खेत को नष्ट कर देती है, कोई भी फसलों को बचा नहीं सकता । अतः यदि लोग देश के हित के कार्यों की बजाय नापाक क्रियाकलापों में लग जाएंगे तो यह केवल हमारे देश की प्रतिष्ठा को गिराएगा ।

इन मामलों को समाप्त करने से पहले, देश के पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उन्हें शान्तिपूर्ण, सुखी और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए जैसाकि हम अतिप्राचीनकाल से व्यतीत करते आ रहे हैं सभी अवसर प्रदान करने के लिए मैं भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निष्ठा और ईमानदारी से किए गए प्रयासों को रिकार्ड में लाना चाहूंगा ।

यह उग्रवादी अनुनदोरम बोराह के महान कार्यों को भूल गए हैं । उनका जन्म असम के उत्तरी गुवाहाटी क्षेत्र में हुआ था और उनका 19 जनवरी, 1889 को केवल 38 वर्ष की आयु में कुंवारेपन में ही कलकत्ता में देहान्त हो गया था । वह पहले भारतीय थे जिन्होंने 1870 में आई0सी0एस0 परीक्षा पास की थी । वह 1871 में वकील बने थे । बोराह के आदर्शों और आकाक्षाओं की एक झलक इस देश के नागरिकों को लगातार प्रेरणा देती रहेगी ताकि हमारे देश को अपने नागरिकों पर गर्व हो और हमारा देश विश्व का नेतृत्व करे । इतनी कम समयावधि में उन्होंने भारत में तथा विदेशों में एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी और संस्कृत के मार्गदर्शक विद्वान के रूप में पहचान बना ली थी और कुछ गिने चुने भारतीयों में से एक होने की अमिट पहचान बनाई और उन दिनों सिविल सेवा के उच्च पद को धारण किया । यह केवल यही दर्शाता है कि भारत के इस भाग के लोगों ने किस प्रकार हमारे देश के लिए गौरव एवं प्रसिद्धि अर्जित की और यहां पर अनेक बोराह हुए हैं और बहुत से बोराह और होंगे और, इसलिए हमें सभी नागरिकों को हर संभव अवसर प्रदान करना होगा ताकि वे देश के लिए अपनी हिम्मत को दिखा सके । जब कलकत्ता में उनकी मौत हुई तो दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किसी ने कहा:-

"बंगाल का गौरव चिरनिद्रा में विलीन हो गया ।"

एक असमी युवक का कथन था:-

"वह बंगाल का गौरव नहीं, वह असम का गौरव है जो अब चिरनिद्रा में सो गया है ।"

एक बंगाली सज्जन ने फूट-फूट कर रोते हुए कहा:-

"नहीं, वह एक महान व्यक्तित्व है,
भारत की शान है जो अब चिरनिद्रा में लेटा हुआ है ।"

यह देश के इस पूर्वी हिस्से के गौरव को दर्शाता है ।

स्वर्गीय श्री बरूआ के बारे में कहा जाता है कि अपनी जानी पहचानी परोपकारिता, जनता की समस्याओं से सहानुभूतिपूर्ण निपटान और जनहित के अनेकानेक कार्यों से श्री बरूआ ने लोगों का दिल जीत लिया था । नोआखली में तैनाती के दौरान लोगों ने उनका यह कहते हुए उत्साहपूर्ण स्वागत किया:-

"आनन्द के पवित्र आगमन के शुभावसर पर मन में खुशी की लहर दौड़ रही है । आनन्द की प्रसन्न मुद्रा को देखकर जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है । लेकिन मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूं, पापी हूं, और मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं स्वागत उपयुक्त देखभाल और सौहार्द से उन्हें प्रसन्न कर सकूं ।"

उनके पांडित्य के बारे में लोग यह कहकर उनका गुणगान करते थे:-

"वाह, हमनेआपकी बहुत प्रसिद्धि सुनी है । जैसे कि समुद्र मन्थनोपरान्त देवता लोग जीवन अंश देवतुल्य सुरा का रसपान कर रहे हों, आपने छोर विहीन समुद्रों को पार करके घनीभूत प्रयासों से ज्ञान रूपी रत्न प्राप्त किया है । जैसे मयंक अपना प्रकाश सर्वत्र विकीर्ण करता है वैसे ही आपके पास जो सुधा रूपी खजाना है, उस खजाने में से आप ज्ञान रूपी अमृत संवितरित कर रहे हैं ।"

बरूआ के शब्दकोष की एक मुख्य विशेषता नए शब्दों को गढ़ना है । उनके अनुसार:-

"नए समनुरूपी शब्दों को गढ़ना, नए वैज्ञानिक एवं दार्शनिक शब्दों द्वारा सम्प्रेषित प्रमुख विचारों का अभिव्यक्तिकरण न केवल संस्कृत भाषा, जिसकी नमनशीलता एवं आघातवर्ध्यता का कोई मुकाबला नहीं है, की विशिष्टताओं के अनुरूप है, बल्कि इससे हमारे देश के लोगों, जो विदेशी भाषाओं से परिचित नहीं हैं, के लिए विज्ञान एवं दर्शन का अध्ययन सुविधाजनक होने की भी संभावना है ।

आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रथम बुरदृष्टा प्रोफेसर एच0एच0 विल्सन की संस्कृत में निम्नलिखित प्रख्यात पंक्तियां उल्लेखनीय है:-

"अमृत सचमुच मीठा है परन्तु संस्कृत अमृत से भी ज्यादा मीठी है । यही वजह है कि संस्कृत देवताओं के लिए आनन्दकर है और इसे देववाणी अर्थात देवताओं की भाषा कहा जाता है । मुझे नहीं पता कि वह किसी प्रकार की मिठास है जो संस्कृत में है और जिसके कारण हम विदेशी लोग हमेशा अत्यधिक नशे में रहते हैं । जब तक भारतवर्ष रहेगा, जब तक विनध्याचल एवं हिमालय रहेंगे, जब तक गंगा और गोदावरी प्रवाहित रहेंगी तब तक निश्चय ही संस्कृत भी रहेगी ।"

शब्दकोष के प्रथम खण्ड की प्रस्तावना में मि0 बोरो संस्कृत को कहते हैं:–

"विश्व की सर्वाधिक समृद्ध, सर्वाधिक परिष्कृत, सर्वाधिक दार्शनिक भाषा है "

भवभूति और संस्कृत साहित्य में उनका स्थान के समापन भाग में बरूआ और अधिक भावपूर्ण ढंग से घोषित करते हैं:–

"मुझे संस्कृत मेरी अन्य भाषा से अधिक प्रिय है । इसके संगीत में वह आकर्षण है जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता । मानव विचार के प्रत्येक भाव को सर्वाधिक उपयुक्त भाषा में प्रस्तुत करने की इसकी क्षमता की कोई अन्य भाषा शायद ही बराबरी कर पाए लेकिन वह निश्चित रूप से इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकती । करूण दृश्य हृदयविदारक शब्दों में लिखे गए हैं । महान प्रतिविम्ब को उदात्त भाषा का जामा पहनाया गया है । भयानक से भयानक चित्र भय उत्पन्न करने वाली अभिव्यक्तियों में व्यक्त किए गए हैं ।"

छंदशास्त्र की प्रस्तावना में बरूआ कहते हैं:–

"यदि मेरे कार्य से भारत में हमारे प्राचीन साहित्य के प्रति सम्मान उत्पन्न हो और महान सत्य की खोज के लिए वास्तव में इच्छा उत्पन्न हो सके तो मैं अपने समय का सदुपयोग हुआ मानूंगा ।"

हमारे साहित्य की समृद्धि के बारे में वे वाग्मितापूर्ण कहते हैं:–

"राष्ट्रीय साहित का संपूर्ण क्षेत्र पूर्णतया हमारे हाथों में है और यह बेहद खेदजनक है कि हमारे देशवासी अभी तक पूरी तरह यह नहीं देख पाए कि इसे काफी हद तक सुधारने की शक्ति हम में है । मांग एवं आपूर्ति का नियम साहित्य पर भी उतना ही लागू होता है जितना कि राजनैतिक– अर्थव्यवस्था पर और स्कूली शिक्षक इस नियम की सच्चाई से अपने छात्रों को अवगत कराने और उन्हें अपने इतिहास तथा साहित्य से प्रेम करने तथा उसकी सराहना करने की आवश्यकता पर बल देने से बेहतर कुछ नहीं कर सकते ।"

इतिहास के अध्ययन की उपयोगिता के संबंध में निम्नलिखित शब्दों से अपने देशवासियों के प्रति उनके प्रेम और चिंता की स्पष्ट झलक मिलती है:–

"हमें अवश्य ही यह कार्य करना चाहिए न केवल साहित्य के लिए, बल्कि ढेर सारे लाभदायक कार्य के लिए जिससे हमारे साक्षर वर्ग के हाथों में लाभकारी काम आ जाएगा जिसमें से कुछ जीवन और भरण–पोषण के लिए संघर्ष कर रहे हैं । सरकार के कार्यों की आलोचना करना सरल है । लेकिन लोग यह नहीं देखते कि वे मिलकर कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं ।"

मैं चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग बल्कि देश के अन्य भागों के लोग भी उन महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा लें जो पूर्वोत्तर में रहे हैं और जिन्होनें काफी अधिक योगदान दिया है और जिन्होंने हमारा यह सक्षम मार्गदर्शन किया कि हम आने वाली पीढ़ी को शांतिपूर्ण कल कैसे दे सकते हैं ।

क्षेत्र के लोग महसूस करते हैं कि निजी निवेश घरेलू और विदेशी दोनों, आर्थिक समृद्धि का इंजिन है और राज्य व्यापार क्षेत्र में प्रवेश करने के अनिच्छुक हैं । इस देश में 1991 से आर्थिक सुधार के 8 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक भी निजी निवेश आमंत्रित नहीं किया जा सका । इस क्षेत्र के लोग जानते हैं कि इसके कारण सर्वविदित हैं । वे अपनी तुलना प्रगतिशील राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु से करते हैं । अपने बुनियादी ढांचे, अनुकूल वातावरण से वे वहां करोड़ो के निजी निवेश आमंत्रित कर पाए और इसी से ही चहुंमुखी विकास संभव हो सकता है । उग्रवादियों को इस सच्चाई को समझना होगा और व्यापारियों के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करना होगा ताकि वे आएं और व्यापार करें जिससे इस क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवता में सुधार हो सके ।

रिकार्ड में उपलब्ध इन स्थापित तथ्यों को देखते हुए, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं कि केन्द्र सरकार का यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और इसकी शाखाओं को अधिसूचना द्वारा विधिविरूद्ध कार्यकलाप(निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत विधिविरूद्ध संगम घोषित करना न्यायोचित था और इसकी पुष्टि करने में मुझे कोई संकोच नहीं है ।

(के0 रामामूर्ति)
अध्यक्ष

17 मई, 1999

विधि विरूद्ध क्रियाकलाप(निवारण) अधिकरण

[फा0 [फा. सं. 11011/49/98-एन.ई.-IV]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 1999

S.O. 472(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), declared the United Liberation Front of Asom(ULFA) to be an unlawful association vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1013(E), dated the 27th November, 1998 (hereinafter referred to as the said notification):

2. And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the said Act, constituted vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1091(E), dated the 22nd December, 1998, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal, consisting of Justice Shri K. Ramamoorthy, Judge of Delhi High Court:

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, referred the said notification to the said Tribunal on the 24th December, 1998, for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring the said association as unlawful:

And whereas the said Tribunal, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, made an order on the 17th May, 1999, confirming the declaration made in the said notification:

Now, therefore, in pursuance of sub-section (4) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby publishes the said order of the said Tribunal namely:-

BEFORE HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAMOORTHY
UNLAWFUL ACTIVITIES [PREVENTION] TRIBUNAL:
NEW DELHI.

IN THE MATTER OF :

UNITED LIBERATION FRONT OF ASOM (ULFA)

The Govt. of India, Ministry of Home Affairs, issued a Notification on the 27th of November 1998 declaring the United Liberation Front of Asom (ULFA) and his various wings to be an unlawful association by virtue of power conferred on the Government under Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. The Notification reads as under :-

> "S.O.1013(E)- Whereas the United Liberation Front of Asom and the various wings thereof, (hereinafter referred to as ULFA) has as its professed aim, the "Liberation" of Assam from the Indian Union through an armed struggle, in alliance with other armed secessionist organisations of the North East Region as well as to struggle for the national liberation of the Indo-Burma region in alliance with like-minded organisations of that region and thereby, the secession of Assam from India;
>
> And whereas, the Central Government is of the opinion that ULFA has
>
> (i) indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam;
>
> (ii) aligned itself with other unlawful associations like National Socialist Council of Nagaland to lib ate Assam;
> (iii) in pursuance of its aims and

objectives, engaged in several unlawful and violent activities during the currency of its declaration as an unlawful association;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that the unlawful and violent activities include-

(i) 436 violent and terrorist incidents which are attributed to ULFA during the period from 27.11.96 to 17.8.98;

(ii) indulging in a spate of extortion activities particularly among the tea sector in addition to its acts of kidnapping for ransom;

(iii) embarking on a programme of restructuring its organisational network at grass root level by launching a quiet but systematic drive for recruitment of fresh cadres and revamping the district, anchalik and sakha committees, while continuing its terrorist and insurgency activities;

(iv) publicity wing of the organisation has remained active and has published clandestine leaflets, magazines highlighting the goal of the outfit, alleged exploitation by the Central Government and exhorting the people to join the so-called liberation struggle and thereby subverting their loyalties;

(v) instructing its cadres to compile the list of police informers/ government, collaborators and to identify targets for retaliatory action against them;

(vi) instructing the army wing of the ULFA to mingle with the common people and execute assigned tasks;

(vii) has established sanctuaries in neighbouring countries and has established a number of training camps in these countries;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that for the reasons aforesaid, the activities of ULFA are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the United Liberated Front of Asom (ULFA) and its various wings to be an unlawful association.

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if there is no immediate curb and control of unlawful activities of the ULFA, it will take the opportunity to-

(i) mobilise its cadres for escalating its secessionist, subversive and terrorist/violent activities;

(ii) openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(iii) indulge in increased killings of civilians and targeting of police and security forces personnel;

(iv) procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the border;

(v) extort and collect huge funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of ULFA mentioned above and to meet the sustained and ever increasing violence committed by the ULFA in the recent past against the Police, the Armed forces and the civilians, it is necessary to declare ULFA to be an unlawful association with

immediate effect and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette."

The Tribunal has been constituted under section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for considering the question of confirmation of the Notification.

Notices were issued to the parties concerned and the inquiry was conducted. The State of Assam examined the following witnesses :-

1. P.W.1 Mr.B.J. Mohanto
2. P.W.2 Mr. B.K. Bordoloi
3. P.W.3 Mr. P.D. Goswami
4. P.W.4 Mr. Pradip Chandra Saloi
5. P.W.5 Mr. Sunil Datta
6. P.W.6 Mr. Binay Kumar Mishra
7. P.W.7 Mr. Satyendra Narayan Singh
8. P.W.8 Mr. Derajuddin Ahmed

Documents Ex. P.1 to P.31 have been exhibited.

The Central Government, apart from filing the affidavit explaining the circumstances, examined Mr.L.K. Prasad.

Before I deal with the evidence adduced, a few prepatory remarks has become necessary in view of the fact that the United Liberation Front of Asom (ULFA) was declared as unlawful association w.e.f. 27.11.1990 and Notifications were being issued by the Govt. of

India and the same were confirmed by the Tribunals. In a democratic polity like ours, in view of the basic principles enshrined in the Constitution every citizen of this country is duty bound to contribute his might for the cohesion and integrity of India. Then only India can project itself as a powerful nation in the International arena. Some disgruntled elements for their own selfish ends, without any regard for the welfare of the nation as a whole and without any concern for the local people cause ripples and those persons have to be dealt with firmly in view of the principles of the Constitution and the laws made thereunder. As a matter of fact, a Constitution amendment became necessary to highlight the Fundamental duties of citizens in the year and Article 51A was inserted in the Constitution, which reads as under :-

> "51A. Fundamental duties.- It shall be the duty of every citizen of India-
>
> (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
>
> (b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
>
> (c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
>
> (d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement.

The entire State of Assam and other parts of the North-east are under the grip of fear from these individuals who indulge in unlawful activities. Apart from exercising power under the Act, I am of the view that some positive measures have to be undertaken by the Govt. of India towards reformative approach to impress on these individuals that we are nearing the next millenium and they have to realise their responsibility to the country and try to din into their ears what our leaders during the freedom struggle had proclaimed and practised and how they had sacrificed their precious lives for the sake of our country.

Independence alone would not give us any solution for other problems encountered by us. All citizens of this country have to be given equal opportunities and all of they have to strive for the betterment of the country. The words of late John F. Kennedy who was the President of United States of America at the time when he took the oath of office as President of America on the 20th of January 1960 have to be kept in mind. He said:-

> "Ask not what your country will do for you, ask what you can do for your country?".

These elements who revel in unlawful activities little realise that far from trying to help the locals they are putting great obstacles in the way of the progress of the people of the locality. When great opportunities are available all over India, when people of this part of the country are highly cultured, refined and are inherently bestowed with intellectual prowess, the members of the Associations unnecessarily are creating obstacles in the progress of the people. The finer qualities of the people, if properly harnessed and honed it will go a long way not only to help the individuals themselves but it will help to great extent towards the progress of the country. The powers that be, in my view, has to follow apart from containing these elements from indulging unlawful

activities persuasive methods to bring the persons into the main stream of national activities. Mahatma Gandhi, Pt. Jawahar Lal Nehru, Sardar Vallabh Bhai Patel, Govind Ballabh Pant have show us the way to deal with such a situation. If proper methods and properly trained personnel are employed these persons, who are indulging in unlawful activities, could be turned into persons of great character.

The upshot of the evidence produced on behalf of the State of Assam and the Govt. of India is that the activities of ULFA would continue unabated causing great damage to the fabric of the society and without any appreciation of their actions. They continue to challenge the integrity and sovereignty of India. They indulge in extortion, murder, ambushing police officials, security personnel and demanding money for their own purposes and kidnapping innocent persons if they did not accede to their illegal and unauthorised demands. The evidence is overwhelming against the Organisation.

I hope that the persons indulging in unlawful activities would realise that if they are really interested in the welfare of the people in the region, they have to develop a sense of love and service to the humanity and they must realise that their talents and energies are wasted in negative activities and if they

are properly utilised they would be contributing a lot to the progress of the Nation. And these persons indulging in unlawful activities are perhaps not aware that they hail from a soil which had produced great leaders like Lachit Barphukan, who is known for his heroic deeds during 17th Century, who was a great General of Ahom Kingdom. A function was organised in New Delhi to recollect great deeds of Lachit Barphukan, presided by His Excellency Krishan Kant, the Vice President of India, where Lt. Gen (retd) S.K. Sinha, Governor State of Assam and the Chief Minister the Hon'ble Prafulla Kumar Mahanta brought out clearly the sacrifices made by Barphukan for the sake of the country. The Hon'ble Chief Minister said:-

> "It is a fact that Assam still remains less known, less understood among the people outside the state.
>
> It may be due to its geographical isolation and lack of proper exposure that a communication gap exists between the people of the state and those outside. Such a gap is against the interests of national integration and needs to be bridged."

The people in other parts of the country are well aware of the greatness of Assam and people working in various parts of the country from Assam have brought good name not only to the State but also to the people of this country.

I am of the view that if people realises and

follow the principles of "SATYA, DHARMA SHANTI, PREMA" our Nation will be recognised as on the greatest as it is the Bhartiya culture that is sustaining the entire Nation.

The Govt. of India has to increase the facilities for people to move about by providing number of trains from all parts of the country to various stations in Assam and facilities for air travel. The establishment of Indian Institute of Technology in Guwahati, in my view, is a step in a right direction. There are three Medical Colleges run by the State Government and having regard to the population more number of Medical Colleges and Engineering Colleges are to be opened. And if opportunities for higher education are accorded to the people of the region, there is no scope for anybody trying to go astray.

Right from the days of Magna Carta the people have been the sentinel as it were of the rights of the people, and it is the people and people alone can safeguard the interests of the country. It is often said, the fence instead of safeguarding the crops eats the crops, no one could protect the crops. Therefore, if people instead of acting in the interest of country act indulge in nefarious activities that will only bring down the reputation of our country.

Before parting these matters, I wish to place

on record the sincere and the honest efforts taken by the Govt. of India and the State Governments concerned to give protection to the citizens of the North-east of the country and to provide them all opportunities to lead a peaceful, contended and free way of life that we have been having from time immemorial.

These extremists had forgotten the great deeds of Anundoram Borooah. He was born at North Guwahati in Assam and died in Calcutta as a bachelor on the 19th day of January 1889 when he had completed only 38 years. He was the first Indian who had passed ICS examination in 1870. He became a Barrister in 1871. The glimpse of the ideals and aspirations of Borooah should continue to inspire the citizens of this country so that our country may be proud of its citizens and be a leader of the world. Within this short span of life, he earned recognition in India and abroad as a very brilliant student and a leading Sanskrit Scholar and he made an indelible mark as one of a few Indians and could hold high office of Civil Service in those days. This only shows how people from this part of India had brought glory and fame to our country and there are several Borooahs and there are several to come and, therefore, we are to give every opportunity to all citizens to show their mettle for the sake of the country. When he died in Calcutta while paying homage

to the departed soul, one said:-

> "Here lies the glory of Bengal in his eternal sleep"

One Assamese youth said:-

> "He is not the glory of Bengal. He is the glory of Assam, now lying in eternal sleep".

A Bengali gentleman burst out and said:-

> "No here is a great man, a glory of India, now lying in his eternal sleep".

This bring to surface a glory of this eastern part of the country.

It is said of late Borooah that by his learning benevolence, sympathetic treatment of the people, and various acts of public utility Mr. Borooah won the heart of the people. When he was posted at Noakhali, the people of Noakhali received him with greeting him saying:-

> "On the auspicious arrival of Ananda, the mind is thrilled with joy, the purpose of life is fulfilled by looking at the joyful visage of Ananda. But I am a wretched one, full of sins, and I am not in a position to please him with greetings and adequate care and cordiality".

About his Scholarship, the people praised him by saying:-

> "Oh, we have heard so much about your fame. Like the gods receiving the

> nectar, the cream of life, by churning the ocean, you have acquired the jewel of learning with great effort by crossing over the shoreless seas. Like the moon, the repository of ambrosia, you are now distributing the ambrosia of knowledge."

One of the salient features of the Dictionary of Borooah was the coining of the new words. He says:-

> "To coin new equivalents, expressive of the prominent ideas conveyed by new scientific and philosophical terms, is not only in harmony with the genius of the Sanskrit language, whose pliancy and malleability are unsurpassed,but is likely to facilitate the study of science and philosophy among our countrymen, who are not acquainted with foreign tongues."

The following celebrated lines in Sanskrit from H.H. Wilson, the first Boden Professor of Sanskrit in the University of Oxford:-

> "Ambrosia is really sweet, but indeed, Sanskrit is sweeter than ambrosia. That is why Sanskrit is delectable for the gods, and it is called Devabhasa i.e. the language of the gods. I do not know as to what sort of sweetness is that which belongs to Sanskrit and due to which we the foreigners always remain exceedingly intoxicated. So long as Bharatavarsa will last so long as the Vindhyas and the Himalayas will continue to stand and so long as the rivers Ganga and Godavari will continue to flow, Sanskrit also would definitely be there."

In a preface to the first Volume of the

Dictionary, Mr.Borooah calls Sanskrit:-

> "the most copious, most refined, most philosophical language of the world".

In the concluding part of the Bhavabhuti and His Place in Sanskrit Literature Borooah more passionately declares:-

> "To me, Sanskrit is dearer than my other language. Its music has charms which no words can express. Its capability of representing every form of human thought in most appropriate language is probably not rivalled, certainly not surpassed by any other language. Most touching scenes have drawn in heart-rending words. Most noble images have been clothed in most sublime language. Most terrific pictures have been couched in terror-producing expressions."

In the preface to the Prosody Borooah says:-

> "I shall consider my time most usefully employed, if my work can evoke in India an earnest regard for our ancient literature and a sincere desire to strive honestly to seek our noble truth."

About the richness of our leader? he eloquently expressed:-

> "The whole field of national literature is entirely in our hands and it is much to be regretted that our countrymen do not yet fully see that it is in our power to improve it to a great extent. The law of supply and demand applies as much to literature as to political economy and school-masters cannot do

> better than fully impress the truth of this maxim on their students and make them appreciate and love their own history and literature."

His love and concern for his countrymen is evident from the following referring to the utility of studying history:-

> "We must act up to it not simply for the literature,but for the vast amount of remunerative work that will be thrown in the hands of our educated class - some of whom are now struggling for life and subsistence. It is easy to criticise the actions of Government. But people do not see what amount of good they can collectively do."

I wish and pray that not only the people of the North-east but also the people of the other parts of the country draw inspiration from the lives of great people who had lived in North-east and who had contributed a lot and who had provided able guidance for us how to give a peaceful tomorrow for the next generation.

People of the region feel that private investment, both domestic and foreign, is the engine for economic growth and States are loth to enter the business field. In the 8 years of economic reform in this country since 1991 Assam and the North-eastern region has not been able to attract even one private investment on a large scale. The people of the region are aware that the reasons are well known. They

compare themselves with the progress States like Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu. With their infra-structure, conducive environment they are able to attract private investments in crores, which alone can lead the all round development. The extremists have to realise this fact and must create a congenial atmosphere for the businessmen to come and do business which would improve the quality of lives of the people of the region.

In view of the facts established on record, I am fully satisfied that the Central Government was justified in declaring United Liberation Front of Asom and its wings to be an unlawful association by Notification under section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and I have no hesitation in confirming the same.

May 17, 1999.

(K. RAMAMOORTHY)
CHAIRMAN
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

[F. No. 11011/49/98-NE. IV]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.